

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्रावक्थन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय I		
राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
लोक लेखे प्राप्तियाँ	1.5	18
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	19
व्ययों की गुणवत्ता	1.7	24
राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	27
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	30
ऋण प्रबन्धन	1.10	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	40
निष्कर्ष	1.12	43
संस्तुतियाँ	1.13	44
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	45
विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण	2.2	45
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	46
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	55
कोषागार निरीक्षण के परिणाम	2.5	56
निष्कर्ष	2.6	57
संस्तुतियाँ	2.7	57

अध्याय III वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपभोग प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	59
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	60
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	60
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.4	61
लघुलेखा शीर्ष—800 के अन्तर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना	3.5	62
धनराशियों का केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.6	63
नकद अवशेषों में भिन्नता	3.7	63
वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण	3.8	63
प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	64
दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण/विलम्बित प्रस्तुतीकरण	3.10	64
निष्कर्ष	3.11	64
संस्तुतियाँ	3.12	65
परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	67
परिशिष्ट 1.2	भाग—अ: राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना	68
	भाग—ब: वित्त लेखे का प्रारूप	68
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2012–13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	70
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना	74
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	76
परिशिष्ट 1.6	(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2008–13 के लिए (ब) करेतर राजस्व वर्ष 2008–13 के लिए	79
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	80
परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधि का विवरण	81
परिशिष्ट 2.1	बचत के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण	84
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	92

परिशिष्ट 2.3	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	96
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.5	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	99
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	100
परिशिष्ट 2.7	वर्ष 2012–13 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	106
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	120
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचतें हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	121
परिशिष्ट 2.10	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	123
परिशिष्ट 2.11	व्यय की अधिकता	125
परिशिष्ट 2.12	दो समीक्षित अनुदानों का सार	127
परिशिष्ट 2.13	दो समीक्षित अनुदानों के अप्रयुक्त बजट प्रावधानों का विवरण	128
परिशिष्ट 2.14	पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गई	129
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2013 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	130
परिशिष्ट 3.2	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण	132
परिशिष्ट 3.3	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2013 तक लम्बित थी)	133
परिशिष्ट 3.4	चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	134
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2012–13 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित किये गये प्रकरणों का विस्तृत विवरण	135
परिशिष्ट 4	शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)	
	गणना का आधार	136
	पदों की व्याख्या	137
	प्रथमाक्षरी	139